This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार 29 मार्च, 2017 / 08 चैत्र, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 03 मार्च, 2017

संख्याः एल.सी.डी.–एफ (8)–1 / 2016.––राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की धार्मिक संस्थानों, पुरातन स्मारकों व पुरास्थलों के लिए सहायतानुदान योजना (अनुबंध–क) को अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या एल0सी0डी0–सी

(10)–10 / 2012 दिनांक 20 अगस्त, 2013 तथा एल0सी0डी0–एफ (8)–1 / 2015 दिनांक 16 जून, 2015 को निरस्त किया जाता है।

आदेश द्वारा,
अनुराधा ठाकुर,
प्रधान सचिव (भाषा –संस्कृति)।

————————

सहायतानुदान योजना

1. उदेश्य :

भाषा एवं संस्कृति विभाग सहायतानुदान नियम 1981 (यथा संशोधित, 2004) के अन्तर्गत धार्मिक संस्थानों अथवा पुरातन स्मारकों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

2. पात्रता :

(।) (क) कोई भी धार्मिक संस्थान, जो कि :

- सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो
- आस्था का केन्द्र हो
- उस क्षेत्र की पारम्परिक वास्तुकला के अनुरूप निर्मित हो
- ऐतिहासिक हो
- शिल्पकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हो, के भवनों की मुरम्मत के लिए ।

(ख) कोई भी पुरातन स्मारक अथवा पुरातात्त्विक स्थल, जो 50 वर्ष से अधिक पुराना हो, उसके पुरातन स्वरूप को बनाये रखने हेतु उसके संरक्षण व परिरक्षण के लिए।

(ग) कोई भी धार्मिक संस्थान अथवा पुरातन स्मारक : जो किसी भी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया हो।

अथवा

जिसकी संरचना अपनी आयु पूर्ण कर मुरम्मत योग्य न रही हो

अथवा

जिसकी संरचना तकनीकी कारणों से मुरम्मत योग्य न रही हो, को उसी प्रकार की सामग्री और उसी वास्तुकला में पुनर्निर्मित करने के लिए

(II) धार्मिक संस्थानों अथवा स्मारकों अथवा पुरातात्त्विक स्थलों में :

- अवैध कब्जा रोकने तथा सुरक्षा के लिए
- उसके परिसर में चारदीवारी के लिए
- इसे गिरने से रोकने के लिए प्रतिधारण दीवार लगाने के लिए
- आंगन में स्थानीय पत्थर के चक्कों से चक्कातलाई
- जल निकासी प्रबंधन कार्यों के लिए धनराशि सहायतानुदान के रूप में दी जायेगी ।

3. निषेध :

(1) यदि धार्मिक संस्थान अथवा पुरातन स्मारक अथवा पुरातात्त्विक स्थल किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति होगी तो उसे कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा। अनुदान केवल सार्वजनिक सम्पत्ति या सरकारी भूमि पर बने धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक के लिए ही दिया जायेगा।

(2) किसी भी धार्मिक संस्थान के नवनिर्माण के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।

(3) 'हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान व पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984' की अनुसूची–1 में शामिल मन्दिर और 'हिमाचल प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1976' के तहत राज्य संरक्षित स्मारक तथा 'प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958' के तहत केन्द्रीय संरक्षित स्मारक अनुदान के पात्र नहीं होंगे।

4. योजना का प्रचारः

प्रसार वर्ष में दो बार (मास मई व सितम्बर के अंतिम सप्ताह) प्रदेश में लोकप्रिय तीन समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से इस योजना के अधीन प्रकरण मंगवाए जाएंगे।

5. प्रक्रिया :

(1) आवेदक को प्रथमतः निम्नलिखित दस्तावेज ज़िला भाषा अधिकारी के माध्यम से विभाग को भिजवाने होंगे जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि यह धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक इस योजना में विहित उद्देश्यों व प्रारंभिक शर्तों को पूर्ण करता है :

(क) सभी प्रकार के प्रकरणों के लिए एक समान औपचारिकताएं :

(1) जिस भूमि पर धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक का भवन है, उसकी नकल जमाबंदी व अक्स ततीमा।

(2) जिस भूमि पर धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक का भवन है उससे सम्बंधित प्रपत्र–3 को सम्बंधित क्षेत्र के पटवारी से हस्ताक्षरित करवाएंगे।

(3) सहायतानुदान प्रपत्र–1, जो कि उपायुक्त से संस्तुत हो।

(4) सर्वेक्षण प्रपत्र–2 भरा हुआ

(5) भवन में कौन से कार्य किए जाने का प्रस्ताव है, का विवरण संलग्न करें ।

(6) आवेदक को शपथ पत्र देना होगा कि उसने इस कार्य के लिए किसी अन्य विभाग, संस्था या व्यक्ति से अनुदान प्राप्त नहीं किया है और यदि प्राप्त किया है तो उसका पूर्ण विवरण बताना होगा। यह शपथ पत्र सम्बंधित तहसीलदार से अनुप्रमाणित होगा। (प्रपत्र–8)

(7) अन्य कोई ऐसा प्रमाणपत्र अथवा दस्तावेज जो कि प्रकरण की जांच के दौरान अथवा उपरांत, विभाग की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो, मांगा जा सकता है।

(8) अनुदानग्राही को प्रपत्र–8 के अनुसार अनुदान सम्बंधी वचन / शपथ पत्र देना होगा।

(9) यदि धार्मिक संस्थान / स्मारक विशेष घटक से सम्बंधित हो तो प्रपत्र 7 भर कर संलग्न करना होगा।

(ख) धार्मिक संस्थान, जो कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हों, के प्रकरणों में :

(1) धार्मिक संस्थान का महत्त्व, इतिहास, वास्तुकला, उसमें उपलब्ध कला अथवा पुराकृतियां, आयोजित होने वाले मेले व उत्सव, पूजा इत्यादि का विस्तारपूर्वक विवरण

(2) धार्मिक संस्थान के भवन के चारों दिशाओं के चार रंगीन छायाचित्र (कम से कम 5X7 इचं साइज़ क) संलग्न करें जिनमें कि भवन, ऊपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से नजर आता हो। छायाचित्र प्रपत्र–3 पर चिपका कर सम्बंधित क्षेत्र के पटवारी से सत्यापित होने चाहिएं। इसके अतिरिक्त उन मूर्तियों, पुराकृतियों, कलाकृतियों, अलंकरणो इत्यादि के छायाचित्र भी लगाएं, जो कि स्मारक अथवा स्थल में उपलब्ध हों या किसी भी भाग पर उत्कीर्ण किए गए हों।

(ग) प्राचीन स्मारक अथवा पुरातात्त्विक स्थल, जो लगभग 100 वर्ष पुराना हो, के प्रकरण मेंः

(1) स्मारक का महत्त्व, इतिहास, वास्तुकला तथा पुरास्थल इत्यादि का विस्तारपूर्वक विवरण।

(2) स्मारक के चारों दिशाओं के चार रंगीन छायाचित्र (कम से कम **5X7** इंच साइज़ के) संलग्न करें जिनमें कि भवन, उपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से नजर आता हो। छायाचित्र प्रपत्र–3 पर चिपका कर संम्बधित क्षेत्र के पटवारी से सत्यापित होने चाहिएं। इसके अतिरिक्त उन मूर्तियों, पुराकृतियों कलाकृतियों, अलंकरणो इत्यादि के छायाचित्र भी लगाएं जो कि स्मारक अथवा स्थल में उपलब्ध हों या किसी भी भाग पर उत्कीर्ण किए गए हों।

(घ) कोई भी धार्मिक संस्थान अथवा प्राचीन स्मारकः 1–जो किसी भी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया हो

(1) प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए अथवा मुरम्मत योग्य न रहे धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक के भवन का पुराना छायाचित्र होना जरूरी है ताकि वास्तुकला का पता चल सके और उसी प्रकार नया संस्थान अथवा स्मारक बनाया जा सके। ये छायाचित्र प्रपत्र–3 पर चिपका कर सम्बंधित क्षेत्र के पटवारी से सत्यापित होने चाहिए। यदि किसी कारणवश पुराना छायाचित्र उपलब्ध न हो तो प्रस्तावित संरचना, उस क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय अथवा पारम्परिक वास्तुकला व विनिर्देशों के आधार पर निर्मित की जाएगी। इस सम्बंध में मंदिर के आकार–प्रकार व मंजिलों की संख्या व प्रयुक्त सामग्री की रिपोर्ट स्थानीय पंचायत से ली जाएगी।

(2) धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक का महत्त्व, इतिहास, वास्तुकला इत्यादि का विस्तारपूर्वक विवरण

(3) यदि धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक के प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई हो तो रिपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें अन्यथा सम्बंधित पटवारी से रिपोर्ट लेकर संलग्न करें।

2– जिसकी संरचना अपनी आयु पूर्ण कर मुरम्मत योग्य न रही हो अथवा जिसकी संरचना तकनीकी कारणों से मुरम्मत योग्य न रही हो,

(1) मुरम्मत योग्य न रहे धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक के भवन का छायाचित्र होने जरूरी हैं ताकि वास्तुकला का पता चल सके और उसी प्रकार नया संस्थान अथवा स्मारक बनाया जा सके। ये छायाचित्र प्रपत्र–4 पर चिपका कर सम्बंधित क्षेत्र के पटवारी से सत्यापित होने चाहिएं। ये रंगीन छायाचित्र (कम से कम **5X7** इंच साइज़ के) भवन के आगे, पीछे, दायें।

बायें से लिए गए हों और जिनमें कि भवन, ऊपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से नज़र आता हो, भिजवाएंगे। इसमें भवन के उन भागों के रंगीन छायाचित्र भी होने आवश्यक हैं, जिनमें समस्या है और जिनके कारण भवन मुरम्मत योग्य न रहा हो।

(2) प्राक्कलन तैयारकर्ता को भवन की वर्तमान दशा की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें कि स्पष्ट किया गया हो कि किन कारणों से भवन मुरम्मत योग्य नहीं रहा है और अब इसका पुनर्निर्माण ही एक मात्र विकल्प है।

(3) धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक का महत्त्व, इतिहास, वास्तुकला इत्यादि का विस्तारपूर्वक विवरण

(2) इनके प्राप्त होने पर विभाग की पुरातत्त्व शाखा इन दस्तावेजों के आधार पर पात्रता की जांच करेगी और यदि धार्मिक संस्स्थान अथवा स्मारक अथवा पुरास्थल की नियमों के अनुसार पात्रता होगी तो ही प्रकरण मंगवाया जाएगा अन्यथा आवेदक को इन्कार की सूचना दे दी जाएगी। भविष्य संदर्भ हेतु, प्राप्त दस्तावेज, आवेदक को लौटाए नहीं जाएंगे।

(3) जिन धाार्मिक संस्थानों अथवा स्मारकों अथवा पुरास्थलों की पात्रता सुनिशचित हो जाती है, उनके आवेदक, विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 1 से 4 सहित, इस योजना के नियमों के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता से प्राक्कलन व ड्राईगं (चार प्रतियों में) तैयार करवा कर सहायतानुदान हेतु सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी को आवेदन करेंगे। जिला भाषा अधिकारी प्रकरण पर अपनी संतुष्टि के उपरांत इसे उपायुक्त से संस्तुत करवा कर निदेशालय को भिजवाएंगे

6. निदेशाालय स्तर पर प्रकरण का तकनीकी निरीक्षण प्रक्रिया एवं वित्तीय राशि स्वीकृति :

(क) विभाग के पुरातत्त्व प्रभाग द्वारा प्रकरणों का निरीक्षण किया जाएगा। और स्थल का निरीक्षण भी कर सकते हैं तथा जो भी संशोधन आवश्यक हो, तीन मास के भीतर सूचित करेंगे। प्राक्कलन को पुरातत्त्व अभियन्ता अपने स्तर पर औचित्य सहित घटा अथवा बढ़ा भी सकेंगे और तत्सम्बंधी प्रस्ताव अनुवीक्षण समिति के समक्ष भी रख सकते हैं।

(ख) सभी प्रकार के प्रकरणों में सहायतानुदान की अधिकतम राशि सामान्यतः रूपये 25 लाख होगी तथापि यदि यह राशि अपर्याप्त हो तो अपवादात्मक परिस्थितियों में जिला भाषा अधिकारी की विशेष अनुशंसा जो कि उपायुक्त द्वारा पुनरीक्षित हो, तत्सम्बंधी कारणों का उल्लेख करते हुए व प्राक्कलन तथा औचित्य सहित कार्य की आवश्यकता के अनुसार इस सीमा से अधिक अनुदान दिया जा सकता है।

(ग) निम्नलिखित समिति सभी निरीक्षित प्रकरणों की जांच कर उनकी समीक्षा करेगी और प्रत्येक प्रकरण पर अनुदान राशि की संस्तुति करेगी। निदेशालय में प्रकरणों की जांच हेतु निम्नलिखित समिति होगी :–

1.	निदेशक	अध्यक्ष
2.	संग्रहालयाध्यक्ष–I	सदस्य
3.	पुरातत्त्व अभियन्ता	सदस्य
4.	अधीक्षक–I	सदस्य
5.	सम्बंधित जिला भाषा अधिकारी	सदस्य
6.	कनिष्ठ / अति. सहायक अभियंता	सदस्य सचिव

(घ) इसके उपरांत प्रकरण, निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग को प्रस्तुत होंगे और उनका निपटान निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा :–

1. रुपये दस लाख तक के प्रकरण निदेशक, भाषा–संस्कृति विभाग स्वीकृत करेंगे ।
2. रुपये दस लाख से अधिक राशि वाले प्रकरण सरकार को स्वीकृत्यार्थ भिजवाए जाएंगे।

(ड.) विभाग द्वारा स्वीकृत राशि तथा प्रस्तावित कार्य पर व्यय होने वाली कुल राशि की शेष राशि धार्मिक संस्थान अथवा स्मारक की समिति को जन–सहभागिता के रूप में सुनिश्चित करनी आवश्यक होगी।

(च) सहायतानुदान राशि सम्बंधित उपायुक्त के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी को प्रदान की जाएगी, जो इस राशि को आवेदक को कार्य की प्रगति व आवश्यकतानुसार जारी करेंगे। ऐसे प्रत्येक स्वीकृत मामले में अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति व स्वीकृति पत्र की प्रति सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी तथा आवेदक को संदर्भित की जाएगी। खण्ड विकास अधिकारी को स्वीकृति की प्रति, प्राक्कलन की अनुमोदित प्रति सहित भेजी जाएगी।

(छ) अनुदान दो किस्तों में दिया जाएगा :

(1) 50 प्रतिशत अनुदान की मांग स्वीकृत होने पर
(2) शेष 50 प्रतिशत आधा कार्य पूर्ण होने पर
(3) जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष भर में कार्य अवधि कम होने के कारण यह अनुदान एक मुश्त दिया जा सकेगा।

(ज) मुरम्मत, निर्माण, पुनर्निर्माण कार्यों का निष्पादन, आवेदक संस्था, सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता के पर्यवेक्षण में करेगी। मुरम्मत, निर्माण, पुनर्निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उनके निर्माण कार्य सम्बंधी संहिता, नियमावली तथा हि.प्र. सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों (Works Code, Manaul & the instructions issued by the H.P. Govt. from time to time) के अनुरूप किया जाएगा। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता, भाषा–संस्कृति विभाग द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि मंदिर आवेदक, अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कार्य नहीं करता है तो वह सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी व उपमण्डलाधिकारी को तुरंत रिपोर्ट करेंगे और उसकी एक प्रति अविलम्ब इस विभाग को भी भजेंगे इसके उपरांत इस विभाग के अधिकारी निरीक्षण कर, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और सचिव (भाषा–संस्कृति) इस पर अंतिम निर्णय लेंगे।

यदि आवेदक द्वारा अनुदान नियमों की अवहेलना पाई जाएगी तो उसे सारी राशि ब्याज सहित एक–मुश्त लौटानी होगी।

(झ) अनुदान की राशि, एक वर्ष के भीतर व्यय करनी होगी अन्यथा भाषा–संस्कृति विभाग, ऐसी राशि को ब्याज सहित एक–मुश्त वापस लेने का हकदार होगा।

(ञ) निदेशक अपनी संतुष्टि पर इस अवधि को, विशेष कारणों को देखते हुए एक वर्ष तक और बढ़ाने में सक्षम होंगे।

(ट) प्रत्येक अनुदानग्राही संस्था को विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान की निम्नलिखित सूचना धार्मिक संस्थान अथवा पुरातन स्मारक के पास साईन बोर्ड लगा कर प्रदर्शित करनी आवश्यक रहेगी :

1. कार्य का पूर्ण नाम
2. स्वीकृत राशि
3. स्वीकृति वर्ष
4. अनुदान प्रदाता विभाग : भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश
5. कार्य आरंभ की तिथि
6. कार्य समाप्ति की तिथि

7. प्रमाण–पत्र :

(क) आधा कार्य हो जाने पर इस तथ्य हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्र, प्रपत्र–5 पर विभाग को भेजा जायेगा, जो कि सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

(ख) इन निर्धारित प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पर, दूसरी व अंतिम किस्त जारी कर दी जायेगी।

(ग) आवेदक को प्रदत्त कुल अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रपत्र–6) तीन प्रतियों में सम्बन्धित उपायुक्त से सत्यापनोपरांत, निदेशक (भाषा–संस्कृति) को भेजना होगा। आवेदक को उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ प्रदत्त अनुदान के उपयोग के वाउचरज़ की छाया प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी जो कि आवेदक द्वारा सत्यापित होंगी, जिसके आधार पर ही अनुदान का सदुपयोग सुनिश्चित होगा।

धार्मिक संस्थान की समिति को संस्था की पूरी आय व व्यय का विवरण एक कैश बुक में दर्ज करना होगा व समस्त बिल / वाउचरज़ सहेज कर रखने होंगे, जिसका निरीक्षण / सत्यापन सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी / विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी समय पर किया जा सकता है।

8. निरीक्षण एवं नियम उल्लंघनाः

(क) जीर्णोद्धार अथवा निर्माण अथवा पुनर्निर्माण के कार्य को समय–समय पर भाषा एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण की खुली छूट होगी। ये अधिकारी चल रहे कार्य में आवश्यक परिवर्तन भी आवेदक समितियों को बतायेंगे, जो कि इन समितियों को मान्य होगा। निरीक्षण अधिकारी, प्रत्येक निरीक्षित धार्मिक संस्थान अथवा पुरातन स्मारक अथवा पुरास्थल की रिपोर्ट छायाचित्रों सहित तुरंत निदेशालय को भेजेगा। विभाग के कनिष्ठ अभियंता / संरक्षण सहायक आवश्यकतानुसार हर अनुदान प्राप्त धार्मिक संस्थान अथवा प्राचीन स्मारक अथवा पुरास्थल का निरीक्षण करेंगे तथा पुरातत्त्व अभियंता नमूना–जांच (Test Check) के तौर पर कम से कम 10 प्रतिशत निरीक्षण करेंगे।

(ख) सहायतानुदान प्राक्कलन की जिन कार्य मदों के लिए दिया गया है उसी पर खर्च किया जाना होगा। ऐसा न करने पर सारी राशि ब्याज सहित वापस ली जा सकेगी।

(प्रपत्र–1)

(परियोजना–17)

सहायता अनुदान के लिए प्रार्थना–पत्र

1.	धार्मिक संस्थान / स्मारक का पूरा नाम व पताः	
	धार्मिक संस्थान / स्मारक	
	गांव	
	ग्राम पंचायत	
	डाकघर	
	विकास खण्ड	
	तहसील	
	उपमण्डल	
	जिला	
	पिन कोड	
2.	क्या धार्मिक संस्थान / स्मारक सार्वजनिक सम्पत्ति हैः	हां / नहीं

3.	यदि (2) का उत्तर हां में है तो कौन सी संस्था अथवा ट्रस्ट चला रहा है :	
4.	धार्मिक स्थल की आयु :	——वर्ष / निर्माण वर्ष
5.	धार्मिक स्थल / स्मारक के चारों कोणों के चार रंगीन छायाचित्र संलग्न हैं या नहीं ?	
6.	प्रस्तावित कार्य का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए अनुदान अपेक्षित है (अलग से संलग्न करें)	
7.	प्रस्तावित कार्य पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय की राशि	
8.	धार्मिक स्थल का ऐतिहासिक / पुरातात्त्विक व सांस्कृतिक विवरण	
9.	राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है या नहीं ?	
	पर्चा जमाबंदी	
	अक्स ततीमा	
1 0.	अपेक्षित अनुदान की राशि जिसकी सरकार से अपेक्षा है तथा शेष राशि संस्था किस प्रकार वहन करेगी, कृपया ब्यौरा दें :	
11.	क्या इस कार्य के लिए किसी अन्य सत्रोत से भी सहायता प्राप्त की गई है (यदि हां तो ब्यौरा दें) : शपथ पत्र संलग्न करें।	
12.	धार्मिक संस्थान की प्रबंधन समिति के बैंक अकाऊंट सम्बंधी विवरण (बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ जिसमें अकाऊंट सम्बंधी समस्त जानकारी अंकित हो, की स्पष्ट छायाप्रति लगाएं)	बैंक का नाम : बैंक शाखा का पताः बैंक खाता संख्या : IFS Code संख्या :
13.	कोई अन्य सूचना, यदि हो	

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त मेरे प्रतिज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान..... अनुदानग्राही के हस्ताक्षर.....
तिथि..... (नाम.....)
आधार नम्बर..... पदनाम.....
पता ..... दूरभाष कोड सहित / मोबाईल नम्बर.....

मैं .....(नाम), उपायुक्त जिला..... प्रमाणित करता / करती हूं कि श्री..... ..... जिन्होंने कि इस अनुदान प्रकरण के लिए बतौर .....कारदार / संस्था अध्यक्ष आवेदन किया हुआ है, ही इस धार्मिक संस्थान / स्मारक के, सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए, वैध आवदे क हैं और यह धार्मिक संस्थान / स्मारक : मुरम्मत योग्य है / प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुआ है / मुरम्मत योग्य नहीं रहा है अतः मै इस प्रकरण पर अनुदान राशि जारी करने की संस्तुति करता / करती हूं। (जो लागू न हो उसे काट दें।

स्थानः
दिनाकं : हस्ताक्षर (मोहर सहित)

————————

प्रपत्र–2

भाषा एवं संस्कृति विभाग,
हिमाचल प्रदेश–शिमला.171009

प्रदेश के मन्दिरों, स्मारकों, मठों तथा विहारों का सर्वेक्षण

1. मन्दिर / मठ / विहार / संस्थान का नामः

2. इसके भवन का निर्माण किसने तथा कब करवाया था :
3. मन्दिर की निर्माण शैलीः पहाड़ी / सतलुज / पैंटरूफ / शिखर / गुफा / गोम्पा / टावरनुमा / पैगोडा / गुम्बद
4. मन्दिर के प्रधान देवताः
5. मन्दिर की अनुमानित वार्षिक आयः
6. मन्दिर की कुल अनुमानित सम्पत्तिः
7. (1) चल सम्पत्तिः आभूषण लगभगः रूपये नकदी कुल रूपये
8. (2) अचल मकान भूमि बीघे / कनाल / हैक्टेयर
9. मन्दिर की व्यवस्था का ब्यौराः
10. (पुजारी / पारम्परिक समिति / अन्य समिति––कृपया विवरण दें)
11. मन्दिर में मूर्तियों की संख्या व विवरण :
12. मन्दिर के प्रांगण में आयोजित होने वाले उत्सव तथा मेलों का विवरण दें :
13. मन्दिर में कब–कब पूजा होती है ?
14. मन्दिर कहां स्थित है :
15. गांव..... डाकघर.....पिनकोड नम्बर..
16. पंचायत..... उपतहसील.....
17. तहसील..... उपमण्डल.....
18. निकटवर्ती सड़क..... सड़क से दूरी.....
19. निकटवर्ती विश्रामगृह.....
20. विश्रामगृह किस विभाग का है : लोक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग / वन विभाग / बिजली बोर्ड / पंचायत / कोई अन्य (कृपया नाम लिखें)
21. विश्रामगृह में ठहरने के लिए किसे आवेदन करना है : (कृपया अधिकारी व कार्यालय का पता तथा टैलीफोन नम्बर लिखें)
22. क्या मन्दिर में फोन लगा है यदि है तो कृपया कोड सहित फोन नम्बर लिखें :
23. यदि फोन नहीं लगा है तो किसी ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति का नाम तथा फोन नम्बर लिखें जिनसे कि इस मन्दिर के बारे में सम्पर्क किया जा सकेः
24. इस स्थान के लिए जिला / उपमण्डल / तहसील / ब्लॉक मुख्यालय से उपलब्ध बस सेवाओं के रूट का नाम व समय लिखें :
25. धार्मिक संस्थान / स्मारक का इतिहास जो कि कम से कम दो पृष्ठ का हो, लिखें :

————————

प्रपत्र–3

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि .....(धार्मिक संस्थान / स्मारक / स्थल का नाम) मौजा..... परगना.....तहसील.....जिला..... के खसरा नम्बर..... में बना हुआ है / था, जिसका फोटो नीचे चिपकाया गया है इस धार्मिक संस्थान / स्मारक / पुरास्थल के सम्बंध में यह भी प्रमाणित किया जाता है कि (जो लागू न हो उसे काट दें):–

1. उपरोक्त खसरा नम्बर आबादी देह / मिलकीयत का नम्बर है ।

2. उपरोक्त धार्मिक संस्थान / स्मारक / पुरास्थल किसी की निजी सम्पत्ति न हो कर सार्वजनिक सम्पत्ति है ।

3. दिनांक.....को जल चुका है / बरसात में गिर चुका है / भूस्खलन से गिर चुका है / ....(प्राकृतिक आपदा का नाम) से नष्ट हो चुका है।

यहां फोटो चिपकाएं

(हस्ताक्षर का कुछ भाग छायाचित्र व कुछ भाग इस पृष्ठ पर अंकित होना चाहिए)

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर (पटवारी).....

(नाम).....
(मोहर सहित)

———————

Form-4

Justification Certificate for Retaining/Breast wall

It is certified that Retaining wall(s)/breast wall (s) as shown in drawings is/are necessary for the protection of ----------temple situated at village ---------- Gram Panchayat ---------- --- Tehsil --- --------- District ----------.

Place:

Assistant Engineer,
(Name)----------
Block----------
Stamp

Date:

———————

(प्रपत्र–5)

दूसरी व अंतिम किस्त जारी करने हेतु प्रमाण–पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन नियमों के अनुसार ....धार्मिक संस्थान / स्मारक / पुरास्थल को रूपये ..... का सहायतानुदान स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार इन्होंने प्रदत्त राशि से होने वाला कार्य पूर्ण कर लिया है।

2. संस्था द्वारा कृत कार्य प्राक्कलन में अनुमोदित मदों के आधार पर हुआ है ।

3. मैंने स्वयं देखा है ।

4. मेरा निवेदन है कि इन्हें अनुदान की दूसरी व अंतिम किस्त, जो कि रुपये..........बनती है, को जारी कर दिया जाए ।

दिनांक :
स्थान :

(......................) नाम
कनिष्ठ अभियंता
मोहर सहित

(.......................)नाम
खण्ड विकास अधिकारी
मोहर सहित

———————

प्रपत्र–6

उपयोगिता प्रमाणपत्र

कृपया पत्र संख्या ——————————————————— दिनांक ———————————————— राशि——————————————————————————————— प्रमाणित किया जाता है कि ————————————————————————————मात्र की स्वीकृति सहायतानुदान राशि से वर्ष के दौरान———————————————————————————— के रूप में इस विभाग के पत्र संख्या ——————————————————————————— तथा हाशियों में दी गई तिथि के अधीन रुपये ——————————————————————————————————————की राशि हिमाचल ——————————————————————— के प्रयोजन / उद्देश्य के लिए उपयोग की गई है जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी तथा शेष ——————————————————————— रुपये की वर्ष अन्त तक उपयोग न की गई राशि का सरकार को पत्र संख्या ——————————————————— के द्वारा अभ्यपर्ण किया गया है जो कि आगामी —————————————— वर्ष —————————— में दी जाने वाली सहायतानुदान में समायोजित की जायेगी।

स्थान——————————————————————————————हस्ताक्षर——————————————
तिथि————————————————————————————————संस्थाध्यक्ष——————————————
——————————————————————

प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर सहायतानुदान स्वीकृत किया गया था, पूर्ण की गई हैं / पूर्ण की जा रही हैं तथा धन का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था ।

(....................)नाम
कनिष्ठ अभियंता, विकास खण्ड

(....................)नाम
खण्ड विकास अधिकारी
मोहर सहित

प्रतिहस्ताक्षरित
(.........................)नाम
उपायुक्त जिला.............
मोहर

भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
के हस्ताक्षर व पदनाम

प्रतिहस्ताक्षर विभागध्यक्ष

प्रपत्र–7

(विशेष घटक योजना के तहत धार्मिक संस्थानों व स्मारकों व पुरास्थल के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि ———————— नाम का धार्मिक संस्थान / स्मारक / पुरास्थल जो कि खसरा नम्बर——————मौजा————————परगना ——————— तहसील————————— जिला————————में बना हुआ है, दलित समुदाय से सम्बधित है और यह उनका आराध्य देव / देवी या स्मारक या पुरास्थल है।

स्थानः
दिनांकः

हस्ताक्षर
ग्रामीण राजस्व अधिकारी (पटवारी)
मोहर सहित

या

प्रमाणित किया जाता है कि ———————— नाम का धार्मिक संस्थान / स्मारक / पुरास्थल जो कि खसरा नम्बर——————मौजा——————————परगना ——————— तहसील————————— जिला————————में बना हुआ है, दलित समुदाय से सम्बधित है और यह उनका आराध्य देव / देवी या स्मारक या पुरास्थल है।

स्थान :

दिनाकं :

हस्ताक्षर (पंचायत सचिव)
मोहर सहित

हस्ताक्षर (पंचायत प्रधान)
मोहर सहित

प्रपत्र–8

अनुदान सम्बन्धी वचन / शपथ पत्र

भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश–शिमला–171009 द्वारा जो.. (स्मारक / धार्मिक संस्थान / पुरास्थल का नाम) (गांव......................पंचायत.......डाकघर..........उपतहसील / तहसील.... ......उपमण्डल.........जिला..............) के जीर्णोद्धार / पुनर्निर्माण / निर्माण के लिए रूपये.......... / –(रुपये................... मात्र) की राशि स्वीकृत की गई है इस सहायतानुदान के सम्बंध में मैं सपुत्र श्री................गांव ....

परगना / फाटी.....डाकघर.....पंचायत.....तहसील.....उपमण्डल.....जिला.....वचन देता हूं/ शपथ लेता हूं/प्रमाणित करता हूं कि :–

1. सरकार द्वारा जो उपरोक्त धनराशि इस धार्मिक संस्थान / स्मारक / पुरास्थल के लिए स्वीकृत की गई है और जो कुल धनराशि इस प्रस्तावित संरचना के मुरम्मत / निर्माण / पुनर्निर्माण पर व्यय होगी, उसका शेष, जो कि स्वीकृत धनराशि से कम नहीं होगी, संस्था / आवेदक द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।
2. आवेदक / संस्था किसी भी भ्रष्ट कार्यकलाप से सम्बंधित नहीं है।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर कर लिया जाएगा।
4. प्रस्तावित संरचना का मुरम्मत / निर्माण कार्य, प्राक्कलन में अनुमोदित मदों के आधार पर ही निष्पादित किया जाएगा ।
5. मैंने विभाग से तकनीकी रूप से अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति प्राप्त कर ली है और निर्माण कार्य का विस्तृत विवरण भाषा–संस्कृति विभाग के अभियंताओं से भली–भांति समझ लिया है और तद्नुसार ही कार्य करवाया जाएगा।
6. यदि किसी कारणवश अनुदान राशि का उपयोग नहीं हो पाता है या इस राशि में से कुछ राशि बच जाती है तो उसे तुरन्त ही सरकार को लौटा दिया जाएगा।
7. विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों का धार्मिक संस्थान / स्मारक के प्रत्येक भाग में प्रवेश मान्य होगा।
8. मरम्मत / निर्माण कार्य के दौरान विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
9. धार्मिक संस्थान / स्मारक किसी व्यक्ति(यों) की निजी सम्पत्ति नहीं है।
10. निर्माण कार्य पूर्ण होने के एक मास के भीतर उपयोगिता प्रमाण–पत्र (लेखा परीक्षा रिपोर्ट / व्यय विवरण सहित) विभाग को भिजवा दिया जाएगा।
11. मुरम्मत / निर्माण कार्य में स्मारक / धामिर्क संस्थान के भवन के किसी भी भाग पर रंग रोगन / सफेदी / डिस्टैम्पर या आधुनिक फिनिश नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे किसी रासायन / आधुनिक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा जिससे कि भवन का रंग / मूलस्वरूप बदले या उसे किसी प्रकार से प्रत्यक्ष / परोक्ष रूप से उसकी पुरामहत्ता को कोई क्षति पहुंचे।
12. उसने इस कार्य के लिए किसी अन्य विभाग, संस्था या व्यक्ति से अनुदान प्राप्त नहीं किया है और यदि प्राप्त किया है तो उसका पूर्ण विवरण बताना होगा।

यदि मैं उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करता हूं तो अनुदान की सारी राशि, सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज सहित, अविलम्ब लौटा दूंगा अन्यथा मैं इस राशि की भरपाई भू–राजस्व (Land Revenue) के रूप में वसूलने के लिए जिला समाहर्ता..... (जिला) को प्राधिकृत करता हूं।

दिनांक :– आवेदक / अनुदानग्राही के हस्ताक्षर
स्थान :– पूर्ण नाम, पदनाम तथा मोहर सहित

————————

LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 03rd *March*, 2017

No. LCD-F(8)-1/2016.—In supersession of this Department's Notification No. LCD-C(10)-10/2012 dated: August 20, 2013 and LCD-F(8)-1/2015 dated: June 16, 2015, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the "Grant-in-aid scheme for religious institutions,

archaeological monuments and archaeological sites" (Annexure- A) formulated by the Department of Language, Art & Culture.

By order,
ANURADHA THAKUR,
Principal Secretary (LAC).

Grant-in-aid scheme for religious institutions Archaeological monuments and Archaeological sites

1. Objectives:

The provision of grant-in-aid for the religious institutions and ancient monuments has been made under Language and Culture Department Grant-in-aid Rules 1981 (As amended in 2004).

2. Eligibility:

(I) (a) Any religious institution which is :

- culturally rich.
- a centre of faith.
- built according to the traditional architecture of that area.
- historical
- significant in terms of architecture for the repair of buildings.

(b) to maintain in original ancient form and for conservation & preservation of any ancient monument or archaeological site, which is more than 50 years old, .

(c) any religious institution or ancient monument : which has been destroyed due to any natural calamity.

Or

the structure, which has completed its life and is beyond repair.

Or

the structure which is not worth repairable due to the technical reasons. to reconstruct it with the similar material & architecture.

(II) In religious institutions or Monuments or Archaeological sites:

- to check the encroachment and protection,
- for boundary walls in its premises,
- for the construction of retaining wall to prevent it from collapse,
- for chakka stone flooring with the local stones in its courtyard,
- for the management of water drainage system, the grant-in-aid will be given.

3. Prohibition:

1. If the religious institution or ancient monument or archaeological site is the property of an individual then no grant shall be given. Grant will be provided only to public property or religious institution and monuments constructed on government land.

2. No grant will be provided for the construction of new religious institutions.

3. Temples included in 'Himachal Pradesh Hindu public religious institution and charitable endowment act, 1984 schedule-1 and under Himachal Pradesh 'Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and remains Act, 1976', state protected Monuments and under 'Ancient Monuments and Archaeological sites and remains act, 1958', Central protected monuments are not eligible for grant.

4. Publicity of Scheme:

Under this scheme proposals will be invited through advertisements in three leading newspapers of the state twice in a year (in the last week of May and September month)

5. Procedure:

1. Applicant will first submit the following document to the department through District Language Officer, which will ensure that the religious institutions and monuments fulfil the objectives and preliminary conditions prevailing under this scheme.

A. Uniform formalities for all proposals.—1. Jamabandi and Tatima of the land where religious institutions and monuments exist.

2. Concerned Form-3 must be duly signed by the concerned Patwari where the building of monuments and religious institution is built.

3. Grant-in-aid Form-I should be recommended by the Deputy Commissioner.

4. Survey Form-2 should be filled up.

5. Attach details of the proposed work of the building.

6. An Affidavit should be submitted by the applicant that no grant has been from received from any other department or organisation or person. In case, any grant has been received full particulars should be furnished. Affidavit will be attested by the concerned Tehsildar (Form-8).

7. Any other such certificates or document, which is required necessarily for the satisfaction of department, can be asked during or after investigation of the proposal.

8. The grantee should present affidavit/undertaking relating to grant according to Form-8.

9. Form-7 is to be filled and attached, if the religious institution/ monument is related to special component plan.

B. Proposals regarding religious institutions which are culturally rich:

1. Detailed description of importance of religious institution and its worship history, architecture and available art and antiquities in it, and worship fairs and Festivals to be organised.

2. Enclose four coloured photographs of religious buildings (5x7 inches minimum in size) covering the four directions in which the building should be clearly visible from top to bottom. The photographs should be pasted on Form-3 and also be attested by Patwari of concerned circle. In addition to this, photographs of sculptures, art work, festoonery engraved on any part of building and enshrined inside.

C. In proposal of Ancient Monument and Archaeological site which are nearly 100 years old:

1. Detailed description, importance of monument, History, Architecture and Archaeological sites etc.

2. Enclose four coloured photographs of religious buildings (5x7 inches minimum in size) covering the four directions in which the building should be clearly visible from top to bottom. The photographs should be pasted on Form-3 and also be attested by Patwari of concerned circle. In addition to this, photographs of sculptures, art work, festoonry engraved on any part of structure and enshrined inside.

D. Any religious institution or Ancient Monument :—

- Which has been destroyed by natural calamity

1. Old Photographs of the religious institution or Monument is necessary which has been destroyed by natural calamities so that the architecture could be found and the same new structure should be constructed. Paste these photographs on Form-3 and it should be verified by Patwari of concerned circle. If the old photographs are not available due to some reasons then the proposed structure should be constructed on the basis of prevailing local and traditional architecture or specifications of that region. In this connection the shape-design, number of storeys and the report of used material in temple should be obtained from the local Gram Panchayat.

2. Detailed description, importance, history and architect etc. of the religious institutions and monument.

3. If the report has been registered with police about the destruction of religious institution and monument by natural calamity then enclose its attested copy, otherwise enclose the report of concerned Patwari.

2. The structure which has completed its age & not repairable and the structure which is beyond repair due to technical reasons.

(1) The photographs of those religious institution or monument are necessary which are not repairable. So that the architecture could be identified and the new institution or monument could be built in the same form. Paste the photographs on form-4 which should be verified by the Patwari of concerned circle. These coloured photographs (size at least 5x7 inches) be taken from front, back, right and left side of the building in which the building should be clearly visible from top to bottom. The coloured photograph of the problem prone portion of the building is necessary due to which building has become beyond repair.

(2) A detailed report of the present condition of the building should be prepared by the estimate designer where it should be clearly mentioned that due to which reasons the building is not repairable and now reconstruction is the only alternative.

(3) Detailed description, importance history architecture etc. of religious institution and monument.

(4) The archaeological branch of the department will examine the eligibility based on received documents and if as per rules these religious institutions, or monuments, or archaeological site will be eligible only then the proposal shall be invited otherwise refusal information will be conveyed to the applicant. The documents will not be returned to the applicant for future reference.

(5) Those religious institutions or monuments or archaeological sites whose eligibility are assured, the applicant will prepare estimates and drawing (4 copies) from the Junior Engineer of Block Development Officer as per rules of the scheme along with Form 1 to 4 prescribed by the department will apply to concerned District Language Officer for grant-in-aid. After the proper satisfaction of the proposal District Language Officer will send the case to Directorate after due recommendation from Deputy Commissioner.

(6) Technical scrutiny procedure and financial sanction of amount at the Directorate level:

(a) The archaeological wing of the department will examine the proposals and may also visit the sites and point out required amendment not later than 3 months & incorporate the necessary amendment in the proposal. The Archaeological Engineer may put a proposal for enhancing or reducing the estimate before the screening committee with justification.

(b) The District Language Officer will put up the case. Maximum amount of grant-in-aid will ordinarily be Rs. 25 Lakh, however in exceptional circumstances if this amount is inadequate a special recommendation of District Language Officer duly vetted by the Deputy Commissioner will be necessary, while mentioning the relevant reasons with justification & estimate as per actual requirement in that type of cases.

(c) The following committee will scrutinize and review all inspected proposals and will recommend the amount of Grant on each proposals.

1.	Director,	Chairman
2.	Curator-I	Member
3.	Archaeological Engineer,	Member
4.	Superintendent-I	Member
5.	Concerned District Language Officer	Member
6.	Junior Engineer/Additional Assistant Engineer	Member Secretary

(d) Thereafter the proposal will be put up to Director Language & Culture and will be disposed as under accordingly:

(1) The proposals up to Rs. 10 Lac shall be sanctioned by Director, Language and Culture Department.

(2) The proposals exceeding the amount Rs. 10 Lac shall be sent to the Government for sanction.

(e) Out of the amount sanctioned by the department the remaining expenditure of the total amount of proposed work will be necessarily ensured by the religious institution and monument committee as public participation.

(f) The Grant in-aid will be provided to the Block Development Officer through concerned Deputy Commissioner, who will release the amount on progress and requirement of the work to applicant. In every such sanctioned cases the copy of the approved estimate and sanctioned letter will be endorsed to District Language officer and the applicant. The sanctioned letter along with copy of approved estimate will be sent to Block Development Officer

(g) The grant-in-aid will be provided in two instalments.

1. 50% grant-in-aid on sanction.

2. Remaining 50% on the completion of half work.
3. In the tribal area throughout the year due to less working days the grant will be provided in one instalment.

(h) The applicant society will execute the reconstruction, repair, and construction work under the supervision of Junior Engineer, Block Development Office. Repair, construction, reconstruction work will be completed by Rural Development Department in accordance with their construction manual and rules and works code manual issued by H.P. govt. from time to time.

The Junior Engineer of Block Development Office will ensure the execution of work based on estimate approved by Department of Language and Culture. If the temple applicant does not work according to the approved estimate then the J.E concerned will immediately report to the concerned Block Development Officer or the Sub-Divisional Officer and a copy of the same to the department without any delay. Thereafter the officer's of this department will inspect the site and will submit the report to Administrative Secretary, Language & Culture for final decision. If irregularity by applicant in grant regulations is found then he will have to refund the entire amount with interest in single instalment.

(i) The Grant-in-aid should be spent in one year otherwise Department of Language & Culture will be entitled to recover the entire amount in single instalment along with interest.

(j) Director will be competent to extend this period up to one year at his satisfaction keeping in view the certain circumstances.

(k) The following information about the grant conferred by the department will be necessarily displayed by each grantee organisation while fixing sign Board near the religious institutions or Monuments.

1. Full name of work.
2. Sanctioned amount.
3. Sanctioned year.
4. Grant provided by the Language and Culture Department Himachal Pradesh.
5. Commencement date of the work.
6. Completion date of the work.

7. Certificate :

(a) On the Completion of half the work the certificate will be sent to department on form no 5 prescribed for this purpose which should be verified by the Block Development officer.

(b) The second and last instalment will be issued after the receipt of these prescribed certificates.

(c) Three copies of utilization certificate (form-6) of total grant amount provided to applicant will be sent to Director, Language & Culture after verification from the

concerned Deputy Commissioner. The applicant will submit self attested original vouchers of the conferred grant along with the utilization certificate, proper use of grant would be ensured on these bases. All the vouchers will be entered in the cashbook and should be maintained in the Department.

8. Inspection and violation of rules:

(a) Over & above the technical supervision of the officer of Language and Culture Department are authorised to examine the renovation or construction or reconstruction work from time to time. These officers will inform the applicant committee about necessary changes in running work, which will be acceptable to these committees. The inspecting officer will immediately send inspection report of each religious institution or ancient monument or archaeological site along with photographs to Directorate. Junior Engineer/Conservation Assistant of department will inspect each grantee religious institution or ancient monument or archaeological sites thereafter Archaeological Engineer will inspect minimum ten percent of total number of cases, as test check and also as per direction of the higher authorities.

(b) The grant-in-aid provided to approve items of work as per estimates will be spent for the same items of work. Otherwise, entire amount along with interest will be recovered.

———

Form-2

Language and Culture Department, Himachal Pradesh, Shimla-171009

Survey of Temples, Monuments, Gompas, Monasteries of state

1. Name of the Temple, Monastery, Gompas and Institution.
2. Who built this building and when ?
3. The style of temple : Pahari, Satluj, Pent –roof, Shikhar, Gufa, Monastery, Tower Style, Pagoda and dome:
4. Main Deity of Temple:
5. Estimated annual income of temple :
6. Total estimated assets of Temple:
7. (1) Movable assets such as.....Jewellery.....approx. ..... Rs.....Cash.....Total.....Rs.....
8. (2) Immovable assets such as House Land..... Bigha/Kanal Hectare.....
9. Detail of temple management :
10. (Please give details Pujari/Traditional Committee/other Committee):
11. Detail and No. of idols in temple:
12. Detail of fairs & festivals celebrating in the court yard of Temple:
13. When Puja is conducting in the temple :
14. Where the temple is situated :
15. Village……..…Post Office……..……Pin code…….
16. Panchayat……..….Sub Tehsil……..…..
17. Tehsil……..……..Sub Division……
18. Nearby Road…….Distance from road……
19. Nearby rest house
20. Rest house belonging to department: P.W.D/Irrigation & Public health Department/Forest Department/Electricity Board/ Panchayat/ any other?

21. Whom to apply for stay in the rest house : (Please write the name & telephone number of the officer and department.)
22. Is telephone installed in the temple if yes then please give telephone no. With STD code.
23. If telephone is not installed then give name & phone no. of such responsible person who can be contacted with regard to that temple.
24. Write name, timing & routes of the bus service available to this place from District/Sub division/Tehsil/Block head office.
25. Write the History of temple/monument at least in two pages.

———

Form-3

Certificate

Certified that……..(Religious Institution/ Monument/name of place) has been constructed in Khasra no.....Mauja……..Pargna……Tehsil……..……District……..……. .whose photo is pasted below & it is also certified about this religious institution/monument/archaeological site that:

(Strike off which is not applicable)

1. Above khasra no. Is in Abadi deh/Malkiyat

2. Above religious institution/monument/ archaeological site is a public property & not a personal property.

3. Has been burnt on dated...../collapsed by rain/ destroyed by land slide/…….. (name of the natural calamity).

Paste Photos Here

Signature should be inscribed on photo as well as on paper

Place……
Date…….

Signature (Patwari)
Name……..
With Stamp

Form-5

Certificate to Release second & last installment

1. Certified that under which rules grant-in-aid for Rs.....has been sanctioned to.....religious institution/monument/archaeological site. I am satisfied with it they have completed the work with the given amount accordingly.

2. Work completed by organization is on the basis of approved items in the estimate.

3. I have viewed personally.

4. I request that 2nd & last installment of grant which is\Rs…….....may be released to them.

Date…….
Place…….

( ) Name ( ) Name

Junior Engineer
With seal

Block Development officer
with seal

———————

Form-6

Utilization Certificate

Refer to letter no……..……dated……..... vide which..... Amount…….....…….. only has been sanctioned under grant-in-aid during the year……and the date given in the margin the amount of Rs..... has been utilized for the purpose for which it was sanctioned the rest…….rupees at the end of the year unutilized amount has been surrendered to govt. vide letter no……dated…….

Place…… Signature

Date……

Head of organisation

It is certified that I am satisfied on which conditions grant -in-aid was sanctioned has been completed/completing & the amount is actually used for the purpose to which it has been sanctioned.

……Name
J.E. Block Development

……..Name
Block Development officer
With Stamp

Counter Sign

…………….Name
D.C. District.
Stamp

Language & Culture department, Himachal Pradesh

Counter Sign. HOD

DDO Stamp
Sign. & Designation

From-7

Certificate for Grant-in-aid under the S.C.P Scheme for religious institution & monument & archaeological site

Certified that……….......……………………..religious institution/monument/archaeological site which is built in khasra no.……………….Mauja……………......Pargna…..……..…Tehsil……………..……District…………
……is related to Dalit community and it is their worship Dev/Devi or monument or archaeological site.

Place………………

Date……………….

Sign
Rural Revenue Officer (Patwari)
With Stamp

Or

Certified that…..........................………..…religious institution/monument/archaeological site which is built in khasra no……………….Pargna……..….........Tehsil………………..District……………..is related to Dalit communities and it is their Dev/Devi or monument or archaeological site worshiped by them.

Place…………………

Sign (Panchayat Pradhan)
With stamp

Date………………….
Sign (Panchayat Secy)
With Stamp

Form-8

Undertaking/Affidavit for Grant

Grant in aid sanctioned by Department of Language and culture for……………......(Monument/Religious institution/ Name of Archaeological site)

(Village…………..........… Panchayat)……........……P.O…………Sub Tehsil/Tehsil…………Sub Division Distt…………….) for repair/reconstruction/construction Amounting to Rs…........……. in words of (Rupees..…........................…only) in this matter I.....….........……..s/o sh……………..........village………….….... Panchayat.........…..…Tehsil ………….......Sub Division Distt……….hereby undertake/ take an oath/ certify that.

1. The above mentioned amount which has sanctioned for this religious institution/ monument/archaeological site by the government & total amount will be spent on proposed structure for repair/construction/reconstruction. The remaining amount would be borne by the applicant/ organisation.

2. Applicant/organisation is not involved in any corrupt practices.

3. Sanctioned amount will be utilised within one year from the date of sanction.

4. Proposed construction work of the structure will be executed as per approved items in estimate.

5. I have received the copy of technically approved estimate and extensive detail of construction work has been properly understood from the engineers of language and culture department and the work will be executed accordingly.

6. If under any circumstances amount of grant is not utilised or out of this amount balance remained then that will be immediately returned to the Government.

7. The Departmental officers/employees will be allowed to inspect the religious institution/Monument.

8. During the repair work instructions issued by the departmental officers/employees will be obeyed in letter and spirit?

9. Religious institution/Monument is not an individual's property.

10. Utility certificate will be submitted to the department within one month (along with detail of expenditure).

11. No modern finish colour paints/white wash/distemper will be applied on repair/construction of monument/any part of religious institution and no such chemical/modern material will be used which will change the colour/originality of building or which will directly/indirectly damage its archaeological importance.

12. That he has not obtained any grant/ assistance from other department, institution or individuals for the same work if availed then details with full particular will be supplied.

If I don't obey the above mentioned conditions than I will return the entire amount along with interest fixed by Government without delay otherwise I authorise District collector to recover this amount as land revenue arrears.

Date
Place

Signature of
Applicant/ Grantee
Name
Designation
(with stamps)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 20 मार्च, 2017

संख्याः टी0पी0टी0–ए (3)–4 / 2013–I.––हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम, 2016 को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 09–12–2016 द्वारा, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप (पों) या सुझाव (वों) आमन्त्रित करने के लिए, तारीख 12–12–2016 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था ;

और नियत अवधि के भीतर इस निमित्त कोई भी आक्षेप / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है / हुए हैं ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5–24 / 88–टी0पी0टी.–III तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नियम.**––इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम, 2017 है।

2. **नियम 69–ख का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 69–ख के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएगें, अर्थात् :––

''परन्तु क्रम संख्या 1 के सामने विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (नम्बर) सरकार के स्वामित्वाधीन मोटर यानों के लिए आरक्षित होंगे और सम्बद्ध सरकारी अभिकरण द्वारा ₹ 1,00,000– लाख (केवल एक लाख रूपए) की विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के पश्चात् ही आंबटित किए जाएंगें; किन्तु ऐसे विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (नम्बर), सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रजिस्ट्रीकृत करवाए जाने वाले यानों के लिए, ऐसी विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के बिना ही आंबटित किए जाएंगें :

''परन्तु यह और कि सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा ₹3,00,000 / – (केवल तीन लाख रूपए) की विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के पश्चात्, क्रम संख्या 1 में विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रकरण चिन्ह (नम्बर) एच0 पी0–01 और एच0 पी0–02 की श्रृंखला में संविदा वहन यानों (कान्ट्रेक्ट कैरिज व्हीकल्ज) को आबंटित किए जाएगें।''।

आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
प्रधान सचिव (परिवहन)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A(3)-4/2013-I dated 20.03.2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 20th *March*, 2017

No.TPT-A(3)-4/2013-I.—WHEREAS, the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2016 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 12-12-2016 *vide* this Department notification of even number dated 09-12-2016 for inviting objection(s) or suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby as required under sub-section(1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988;

AND WHEREAS, no objection(s)/suggestion(s) has been received in this behalf within the stipulated period;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 211 read with section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, published in the Rajptra (Extraordinary), Himachal Pradesh, Dated 27th July, 1999 vide this Department notification No. 5-24/88-TPT-III dated 12th July, 1999, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2017.

2. Amendment of rule 69 B.—In rule 69-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, for the first proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that special registration marks specified against Sr. No. 1, shall be reserved for the motor vehicles owned by the Government and shall be allotted only, after payment of special registration fee of Rs. 1,00,000/- (One Lakh rupees only) by the concerned Government agency, but such special registration marks shall be allotted without payment of such special registration fee to the vehicles registered by the General Administration Department:

Provided further that the special registration marks specified at Sr. No. 1 shall be allotted to Contract Carriage Vehicles in the series HP-01 and HP-02, after payment of special registration fee of Rs. 3,00,000/- (Three Lakh rupees only) by the concerned person:".

By order,
SANJAY GUPTA,
Pr. Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23*rd March*, 2017

No. TPT-E (5)-3/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate Joint Commissioner, Transport, Himachal Pradesh as nodal officer in respect of all the matters of Hon'ble National Green Tribunal pertaining to Transport Department with immediate effect.

The nodal officer will ensure that the status of all the cases in Hon'ble National Green Tribunal, is regularly sent to Department of Environment, Science and Technology with a copy to this Department.

By order,
SANJAY GUPTA,
Principal Secretary (Transport).

[*Authoritative English text of Excise & Taxation Department Notification No. 7- 675/2015-EXN-8520 dated 24-03-2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.*]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, *the* 24th *March,* 2017

No.7-675/2015-EXN-8520 dated 24-03-2017.—In exercise of the powers conferred by Section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (1of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as in force in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and as in force in the Territories transferred to Himachal Pradesh under Section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 (31of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under Section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, Pushpendra Rajput, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with immediate effect:—

AMENDMENTS

In the said rules:—

1. In Rule 1 after entry 'L-1C' & before entry 'L-1E' (Export), a new entry 'L-1D', after entry 'L-13' before entry 'L-13S', a new entry 'L-13D' and after entry 'L-2AA', a new entry 'L-2(I)' shall be added as per the following description namely:—

Form	Nature	Mode of grant	Authority empowered to	
			Grant	Renew
1	2	3	4	5
L-1D	License for storage of Foreign Liquor for supply to HPBL 'L-1S' depot only.	Fixed license fee and other levies as may be prescribed.	Collector	Collector
L-13D	License for storage of Country Liquor for supply to HPBL 'L-13S' depot only.	Fixed license fee and other levies as may be prescribed.	Collector	Collector
L-2(I)	Retail vend of Foreign Liquor, wine, Beer etc exclusively BIO brands.	Fixed license fee and other levies as may be prescribed.	Collector	Collector

2. In the Para, after entry L-21 and before L-1E (Export), new entries 'L-1D'; after entry 'L-1E', a new entry 'L-2(I)' and after entry 'L-13', before entry, 'L-13S', a new entry 'L-13D' shall be added.

3. (i) In Proviso to rule 12(1) before the entry L-1E (Export), a new entry 'L- 1D' for storage of foreign liquor by the manufacturer/ supplier for supply to HPBL 'L-1S' depot only of the District/Zone/State inter-alia shall be added with the following terms and conditions:—

(*a*) The licensee(s) authorize(s) to store or supply of the Foreign liquor, Beer, Wine & RTD as the case may be, to the premises of HPBL in the district/zone concerned.

(*b*) All manufacturers/suppliers of Foreign liquor shall ensure availability of sufficient liquor stocks in the State in licensed storage facilities and shall appoint authorised agent(s), who shall be responsible for maintaining the licensed storage facilities and for ensuring that sufficient stocks is available to meet the requirement of the State for minimum 15 days.

(*c*) The Licensee shall prominently display in front of his licensed premises a signboard showing in Hindi or English, name of licensee & authorized agent & place.

(*d*) In the event of failure to maintain the sufficient stocks as prescribed in condition no. (b) referred above; the manufacturer/ supplier shall attract the strict action against him including de-registration of brands/cancelation of licenses.

(*e*) The licensee shall supply Foreign liquor, Beer, Wine & RTD, to HPBL 'L-1S' depot. He shall supply bottled liquor only in sealed and capsule bottles.

(*f*) The licensee in addition to the provisions of the Punjab/HP Excise Act shall abide by the instructions/ directions/orders/notifications issued by the Excise & Taxation Commissioner (HP) from time to time.

(*g*) The Licensee will observe the dry days as notified by the Excise & Taxation Commissioner from time to time.

(*h*) The licensee shall get the license renewed every year on payment of such fee and such other conditions as may be/are fixed by the Excise & Taxation Commissioner from time to time as per the Act/Rules/Orders/Notifications issued there-under in so far as these are not inconsistent and are applicable in the case of aforementioned licenses shall apply MUTATIS-MUTANDIS.

(*i*) The existing provisions regarding registration/renewal of brands including approval of labels etc. pertaining to the foreign liquor, Beer, Wine & RTD which will be stored, purchased and supplied in the aforementioned licensed premises shall also be applicable accordingly.

4. (*i*) In Rule 22, a new sub rule '22AA' is added namely - 'L-13D' license for storage of country liquor by manufacturer for supply to HPBL 'L-13S' depot only, of the District/Zone/State inter-alia with the following terms and conditions:—

(*a*) The licensee(s) authorize(s) to store or supply of the Country Liquor as the case may be, to the premises of HPBL in the district/zone concerned.

(*b*) All manufacturers of Country liquor shall ensure availability of sufficient liquor stocks in the State in licensed storage facilities and shall appoint authorised agent(s), who shall be responsible for maintaining the licensed storage facilities and for ensuring that sufficient stocks is available to meet the requirement of the State for minimum 15 days.

(*c*) The Licensee(s) shall prominently display in front of his licensed premises a signboard showing in Hindi or English, name of licensee & authorized agent & place.

(*d*) In the event of failure to maintain the sufficient stocks as prescribed in condition no. (b) referred above; the manufacture supplier shall attract strict action against him including deregistration of brands/cancelation of licenses.

(*e*) The licensee (s) shall supply Country Liquor, to HPBL 'L-13S' depot. He shall supply bottled liquor only in sealed and capsule bottles.

(*f*) The licensee in addition to the provisions of the Punjab/HP Excise Act shall abide by the instructions/ directions/orders/notifications issued by the Excise & Taxation Commissioner (HP) from time to time.

(*g*) The Licensee will observe the dry days as notified by the Excise & Taxation Commissioner from time to time.

(*h*) The licensee shall get the license renewed every year on payment of such fee and such other conditions as may be/are fixed by the Excise & Taxation Commissioner from time to time as per the Act/Rules/Orders/Notifications issued there-under in so far as these are not inconsistent and are applicable in the case of aforementioned licenses shall apply MUTATIS- MUTANDIS.

(*i*) The existing provisions regarding registration/renewal of brands including approval of labels etc. pertaining to the Country Liquor which will be stored, purchased and supplied in the aforementioned licensed premises shall also be applicable accordingly.

5. In Rule 38 a sub rule 38 [2 (AAA)] is added namely L-2(I) license of retail vend of Foreign liquor, Wine, Beer etc., exclusively B.I.O. Brands with following terms and conditions:—

(*a*) 'L-2(I)' retail vends of Foreign liquor, wine & beer etc exclusively B.I.O. Brands.

(*b*) The licensee shall sell only Imported Foreign liquor, Wine & Beer etc. B.I.O. (Bottled In Origin) brands.

(*c*) Licensee shall take the supply from HPBL only subject to the payment of license fee, additional license fee and other levies prescribed from time to time.

(*d*) The licensee in addition to the provisions of the Punjab/HP Excise Act shall abide by the instructions/ directions/orders/notifications issued by the Excise & Taxation Commissioner (HP) from time to time.

(*e*) The Licensee will observer the dry days as notified by the Excise & Taxation Commissioner from time to time.

(*f*) The licensee shall get the license renewed every year on payment of such fee and such other conditions as may be/are fixed by the Excise & Taxation Commissioner from time to time as per the Act/Rules/Orders/Notifications issued there-under in so far as these are not inconsistent and are applicable in the case of aforementioned licenses shall apply MUTATIS- MUTANDIS.

(*g*) The existing provisions regarding registration/renewal of brands including approval of labels etc. pertaining to the Country Liquor which will be stored, purchased and

supplied in the aforementioned licensed premises shall also be applicable accordingly.

6. After entry L-1C mentioned at serial number 5 of the Schedule 'A' appended to the said Rules, new entry 5 (A) namely L-1D; after entry L- 2AA, mentioned at serial no. 7 of the Schedule 'A' appended to said Rules new entry 7 (iii) namely L-2 (I) and at serial no. 21 (i) of the Schedule 'A' appended to the said Rules, new entries 21 (i)(a) namely L-13D shall be added and serial no. 5 A, 7 & 21 shall read as follows:—

Sr. No.	Particulars of license	Rates of Fixed fee per annum
1	2	3
5.	L-1C (wholesale vend of foreign liquor by distiller or bottler only.	Rs. 3,80,000/-
5. A	L-1D License for storage of Foreign Liquor for supply to HPBL 'L-1S' depot only.	Rs. 2,00,000/-
7.	(ii) L-2AA (Ahata) A supplementary license attached to L-2 Vend under Rule 38-(2-AA) of the H.P. Liquor License Rules, 1986.	An amount equivalent to 10% of the annual license fee of L-2 vend to which this supplementary licenses is attached/issued.
	(iii) L-2(I) Retail vend of Foreign Liquor, wine, Beer etc. exclusively BIO brands.	Rs. 1,00,000

21.	(i) L-13 for wholesale vend of CL	Rs. 3,50,000/-
	(i)(a) L-13D License for storage of country Liquor for supply to HPBL 'L- 13S' depot only.	Rs. 2,00,000
	(ii) L-13S for storage of CL	Rs. 10,35,000/-

By order,
(PUSHPENDRA RAJPUT),
Excise & Taxation Commissioner,
Himachal Pradesh.

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 28th *March*, 2017

No. Home.B.B(7)2/2013.—The Governor, Himachal Pradesh in compliance to the Hon'ble Supreme Court judgment dated 30th January, 2014 in Writ petition (Civil) No. 309 of 2003 is pleased to appoint Sh. Rajinder Kumar Sharma, District & Sessions Judge (Retd.) as Convener of the State Committee for the purpose of supervising and monitoring the implementation of the provisions for the Prevention of Cruelty to Animal and Registration of Societies for Prevention of Cruelty Act, 1986 in the State of H.P. as per terms and conditions mentioned hereunder:—

1. Tenure.—Sh. Rajinder Kumar Sharma, District & Sessions Judge (Retd.) shall function as Convener of the aforementioned Committee strictly for a period of two years w.e.f. 01st April, 2017 to 31st March, 2019.

2. Honorarium.—The Convener shall be paid a fixed amount of Rs. 20,000/- (Twenty Thousand) only as honorarium on monthly basis during this period.

3. Convening of meeting.—The Convener would see that the Committees meet quite often and follow and implement the provisions of the Act as well as the guidelines issued by the Ministry of Environment and Forests.

4. Duties & responsibilitie.—The Convener would see that the Committees meet quite often and follow and implement the provisions of the Act as well as the guidelines issued by the Ministry of Environment and Forests. The Convener shall send the quarterly reports to the Hon'ble Supreme Court. The report shall be sent by him/her within two months from the date of his appointment as Convener.

By order,
PRABODH SAXENA,
Pr. Secretary (Home).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री पवन कुमार उर्फ पवन शर्मा पुत्र श्री व्यासदेव, निवासी गांव कुमान्दी, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री पवन कुमार उर्फ पवन शर्मा पुत्र श्री व्यासदेव, निवासी गांव कुमान्दी, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दरुस्ती गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत वाहंगल के परिवार रजिस्टर में पवन कुमार उर्फ पवन शर्मा दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उसका नाम पवन कुमार दर्ज है। इसलिए अब वह अपना नाम राजस्व अभिलेख में पवन कुमार उर्फ पवन शर्मा दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20–04–2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 06–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री चमन लाल पुत्र स्व0 श्री मेहर सिंह, निवासी गांव सपाहण, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री चमन लाल पुत्र स्व0 श्री मेहर सिंह, निवासी गांव सपाहण, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दरुस्ती गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसके पिता का नाम ग्राम पंचायत बरंगाल के परिवार रजिस्टर में मेहर सिंह दर्ज है जबकि महाल सपाहण के राजस्व अभिलेख में मेहरो दर्ज है मेहर सिंह व मेहरो दोनों नाम एक ही व्यक्ति यानी उसके पिता के है। इसलिए अब वह अपने पिता का नाम महाल सपाहण के राजस्व अभिलेख में मेहरो उर्फ मेहर सिंह दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20–04–2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी के पिता का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 06–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री रूकमदीन पुत्र श्री दूलो, निवासी गांव साला, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री रूकमदीन पुत्र श्री दूलो, निवासी गांव साला, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दरुस्ती गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका नाम महाल डुघार पटवार वृत डुघार व महाल भलेई पटवार वृत भलेई के राजस्व अभिलेख में रूकमों दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत बरंगाल के अभिलेख मे उसका सही नाम रूकमदीन दर्ज है इसलिए अब वह अपना नाम महाल डुघार, पटवार वृत डुघार व महाल भलेई पटवार वृत भलेई के राजस्व अभिलेख में रूकमों उर्फ रूकमदीन दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20–04–2017 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 06–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री जीत सिंह पुत्र श्री चतरो, निवासी गांव महाल द्रबला, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री जीत सिंह पुत्र श्री चतरो, निवासी गांव महाल द्रबला, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दरुस्ती गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत सिमणी के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में, शिक्षा प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में जीत सिंह दर्ज है लेकिन महाल द्रवला के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम जीतू दर्ज है। इसलिए अब वह अपना नाम राजस्व अभिलेख में जीतू उर्फ जीत सिंह दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20–04–2017 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 06–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री चैन लाल पुत्र श्री गुरदयाल, निवासी गांव डाकघर सिमणी, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री चैन लाल पुत्र श्री गुरदयाल, निवासी गांव डाकघर सिमणी, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दरुस्ती गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत सिमणी के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड व उसके लड़के किशोरी लाल के स्कूल प्रमाण पत्र मे चैन लाल दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उसका नाम चैन सिंह दर्ज है। इसलिए अब वह अपना नाम राजस्व अभिलेख में चैन सिंह उर्फ चैन लाल दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20–04–2017 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 06–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

———————

In the Court of Dr. Ganesh Thakur, Sub-Divisional Magistrate Bharmour, District Chamba (H. P.)

Smt. Rekha Devi w/o Shri Joginder Singh, resident of VPO Sirdi, Tehsil Bharmour, District Chamba, H. P. . . *Applicant.*

Versus
General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the Births and Deaths Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Rekha Devi w/o Shri Joginder Singh, resident of VPO Sirdi, Tehsil Bharmour, District Chamba, H. P. has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of delayed date of birth of her daughter Anshika Devi *i.e.* 22-05-2011 for entry in the record of Gram Panchayat Poolan, Development Block Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba H.P., thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of date of birth of Anshika Devi for entry in the record of Gram Panchayat Poolan, *i.e.* 22-05-2011, they may file their claim/objections on or before 08-04-2017 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat for registration of date of birth accordingly.

Given today under my signature and seal of the Court.

Seal. **Dr. GANESH THAKUR,**
Dated : 22-02-2017 *Sub-Divisional Magistrate*
Bharmour, District Chamba (H.P.).

In the Court of Vinay Dhiman, HPAS, Sub-Divisional Officer (Civil) Bharmour, District Chamba (H. P.)

Shri Anil Kumar s/o Shri Tein Singh, Village Rehla, PO Gareema, Tehsil Bharmour, District Chamba, H. P. . . *Applicant.*

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 13(3) of the Births and Deaths Registration Act, 1969.

Whereas Shri Anil Kumar s/o Shri Tein Singh, Village Rehla, PO Gareema, Tehsil Bharmour, District Chamba, H. P. has filed an application alongwith an affidavit regarding registration/entry of delayed date of birth *i.e.* 14-12-1989 in the record of Gram Panchayat Gareema, Development Block Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba H.P., thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if, they have any objection/ claim regarding the registration of date of birth of Anil Kumar for entry in the record of Gram Panchayat Gareema, *i.e.* 14-12-1989, they may file their claim/objections on or before 14-04-2017 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat for registration of date of birth accordingly.

Given today on dated 4th March, 2017 under my signature and seal of the Court.

Seal. **VINAY DHIMAN, (**HPAS**)**
Sub-Divisional Officer (Civil),
Bharmour, District Chamba (H.P.).

In the Court of Shri S. K. Prashar, HAS, Marriage Officer-cum-**Sub Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (HP)**

1. Virender Kumar aged 26 years s/o Shri Karam Chand Sharma, r/o Village Balokhar, P.O. Town Bharari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P.
2. Shivani Mahawer aged 25 years d/o Shri Manohar Mahawer, r/o B-47, Near pali Factory, East Uttam Nagar, West Delhi.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Virender Kumar aged 26 years s/o Shri Karam Chand Sharma, r/o Village Balokhar, P.O. Town Bharari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. and Shivani Mahawer aged 25 years d/o Shri Manohar Mahawer, r/o B-47, Near pali Factory, East Uttam Nagar, West Delhi, have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 14-02-2015 at Arya Smaj Mandir, D-Block, Vikash Puri, New Delhi as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 17-04-2017. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 06-03-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub Divisional Magistrate,*
Bhoranj, District Hamirpur, H.P.

In the Court of Shri S. K. Prashar, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur

1. Balbir Singh aged 28 years s/o Shri Shakti Chand, r/o Village & P.O. Saloun, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (HP) at present c/o Soma Devi w/o Late Shri Roshan Lal Village Nandhan, P.O. Nahalwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P.
2. Monika aged 26 years d/o Shri Raj, r/o Ward No. 8, Old Shahpur Showk, P.O. & Tehsil Pathankot, District Gurdaspur (Pb.).

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Balbir Singh aged 28 years s/o Shri Shakti Chand, r/o Village & P.O. Saloun, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (HP) at present c/o Soma Devi w/o Late Shri Roshan Lal Village Nandhan, P.O. Nahalwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. and Monika aged 26 years d/o Shri Raj, r/o Ward No. 8, Old Shahpur Showk, P.O. & Tehsil Pathankot, District Gurdaspur (Pb.) have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 13-01-2016 at Nawahi Mata Mandir, Nawahi Devi, District Mandi as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 17-04-2017. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 07-03-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub Divisional Magistrate,*
Bhoranj, District Hamirpur, H.P.

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप–मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

1. Ashok Kumar s/o Shri Udham Singh, r/o Village Tehkar, P.O. Joure Amb, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Reena Kumari d/o Shri Bidhi Chand, r/o Village & P.O. Charot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता–पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 17–04–2017 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
बड़सर, उप–मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

————————

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप–मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

1. ज्योति कुमारी पुत्री मोहिन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह, आयु 29 वर्ष, निवासी गांव व डा0 नैन, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

2. नितिन सिंगला पुत्र श्री नौंरग लाल सिंगला, r/o House No. 3380/A, Sector 31-D, चण्डीगढ़ (U.T.) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता–पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 18–04–2017 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 04–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
बड़सर, उप–मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप–मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

1. राजेश कुमार पुत्र किशोरी लाल, निवासी गांव व डा0 महारल, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)।

2. किरण देवी पुत्री श्री धर्मपाल, r/o गांव सलोह बेरी, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0 प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता–पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 05–04–2017 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18–02–2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
बड़सर, उप–मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

In the Court of Shri S. K. Prashar, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Officer (c), Bhoranj, District Hamirpur (HP)

1. Deep Kumar aged 37 years s/o Shri Amar Singh r/o Village Dar, P.O. Chandruhi, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)
2. Vinita Devi aged 22 years d/o Shri Durga Parsad, r/o Village Badhar, P.O. Jaswantpura, Jaitupura, Tehsil Gunnour, District Panna, Madhya Pardesh.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Deep Kumar aged 37 years s/o Shri Amar Singh r/o Village Dar, P.O. Chandruhi, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP) and Vinita Devi aged 22 years d/o Shri Durga Parsad, r/o Village Badhar, P.O. Jaswantpura, Jaitupura, Tehsil Gunnour, District Panna, Madhya Pardesh have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 07-02-2017 at Durga Mata Temple, Dar, Tehsil Bhoranj District Hamirpur as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 03-05-2017. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 14-03-2017 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub Divisional Magistrate,*
Bhoranj, District Hamirpur, H.P.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी श्री चेतन चौहान, तहसील ददाहू,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : श्री गीता राम पुत्र श्री नाईया राम, निवासी ग्राम जार द्राबिल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र ईन्द्राज जन्म तिथि।

श्री गीता राम पुत्र श्री नाईया राम, निवासी ग्राम जार द्राबिल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री अंबिका देवी की जन्म तिथि 11–2–2012, ग्राम पंचायत खुड द्राबिल के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, सचिव ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है। अब वह ग्राम पंचायत के रिकार्ड में अपनी पुत्री अंबिका देवी की जन्म तिथि 11–2–2012 दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम जार द्राबिल व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुड द्राबिल, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17–4–2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता / सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 10–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। चेतन चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी श्री चेतन चौहान, तहसील ददाहू,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : श्री करन ठाकुर पुत्र श्री श्याम कुमार, निवासी ग्राम बेडोन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र ईन्द्राज जन्म तिथि।

श्री करन ठाकुर पुत्र श्री श्याम कुमार, निवासी ग्राम बेडोन, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी जन्म तिथि 15–8–1997, ग्राम पंचायत खालाक्यार के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, सचिव ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है। अब वह ग्राम पंचायत के रिकार्ड में अपनी स्वयं की जन्म तिथि 15–8–1997 दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम बेडोन व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खालाक्यार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17–4–2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता / सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 10–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

चेतन चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी श्री चेतन चौहान, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : श्री रिखी राम पुत्र श्री सुइया राम, निवासी ग्राम चारना भाटगढ़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र ईन्द्राज जन्म तिथि।

श्री रिखी राम पुत्र श्री सुइया राम, निवासी ग्राम चारना भाटगढ़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री वंदना देवी की जन्म तिथि 19–10–2010, ग्राम पंचायत भाटगढ़ के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, सचिव ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है। अब वह ग्राम पंचायत के रिकार्ड में अपनी पुत्री वंदना देवी की जन्म तिथि 19–10–2010 दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम चारना भाटगढ़ व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खाला क्यार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17–4–2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता / सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 10–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। चेतन चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.–प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री जमीला की जन्म तिथि 2–12–2004 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पडदूनी में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 2–12–2004 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जमीला की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..... .....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त जमीला की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र सफरदीन की जन्म तिथि

8–9–1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पडदूनी में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 8–9–1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सफरदीन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति .....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त सफरदीन की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र गामी की जन्म तिथि 30–7–1990 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पडदूनी में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 30–7–1990 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को गामी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..... .....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त गामी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र असलम की जन्म तिथि 03–03–2009 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पडदूनी में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 03–03–2009 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को असलम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति... .....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त असलम की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र जूरा की जन्म तिथि 05–01–2006 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पडदूनी में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 05–01–2006 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जूरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह

मिति.....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त जूरा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र बानी की जन्म तिथि 12–10–1996 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पडदूनी में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 12–10–1996 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को बानी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति.....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त बानी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री हुसन बीबी की जन्म तिथि 6–8–1992 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पडदूनी में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 6–8–1992 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को हुसन बीबी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति.....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त हुसन बीबी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बीबी पत्नी श्री घुम्मन, निवासी पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री हाजरा की जन्म तिथि 16–11–1998 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पडदूनी में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 16–11–1998 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को हाजरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पडदूनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति .....को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त हाजरा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती अनारकली पत्नी श्री मान सिंह, निवासी ग्राम मलगांव, डा0 पंजाहल, ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती अनारकली पत्नी श्री मान सिंह, निवासी ग्राम मलगांव, डा0 पंजाहल, ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री लक्ष्मी देवी की जन्म तिथि 16–11–1990 है, जो ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17–04–2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर लक्ष्मी देवी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

———————

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री रोशन अली पुत्र श्री नूर हसन, निवासी ग्राम भेडों, डा. व ग्राम पंचायत मातर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री रोशन अली पुत्र श्री नूर हसन, निवासी ग्राम भेडों, डा. व ग्राम पंचायत मातर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र वली की जन्म तिथि 07–06–2008 है, का नाम ग्राम पंचायत मातर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17–04–2017 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर वली की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती रेखा देवी पुत्री श्री अलखदास, निवासी गैस गोदाम कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती रेखा देवी पुत्री श्री अलखदास, निवासी गैस गोदाम कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 26–05–1971 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17–04–2017 को प्रातः दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्रीमती रेखा देवी पुत्री श्री अलखदास की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

———————

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती सुदेश देवी पत्नी श्री दयाल सिंह, निवासी VPO Garhi Basic, तहसील सोनीपत, हरियाणा

बनाम

आम जनता

श्रीमती सुदेश देवी पत्नी श्री दयाल सिंह, निवासी VPO Garhi Basic, तहसील सोनीपत, हरियाणा ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र बलविन्दर की जन्म तिथि 02–10–1999 है, जो ग्राम पंचायत विक्रमबाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17–04–2017 को प्रातः दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर वलबिन्दर की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री मानू सिंह पुत्र श्री अमृत सिंह, निवासी मकान नं0 158 / 13 मोहल्ला गोविन्दगढ़, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री मानू सिंह पुत्र श्री अमृत सिंह, निवासी मकान नं0 158 / 13 मोहल्ला गोविन्दगढ़, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 13–01–1987 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17–04–2017 को प्रातः दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर मानू सिंह पुत्र श्री अमृत सिंह की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15–03–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

————————

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री परविन्दर सिंह पुत्र श्री सदाव्रत, निवासी म0 नं0 61 / 13 मोहल्ला गोविन्दगढ़, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री परविन्दर सिंह पुत्र श्री सदाव्रत, निवासी म0 नं0 61 / 13 मोहल्ला गोविन्दगढ़, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र जसदीप सिंह की जन्म तिथि 16–11–2015 है जो नगर पालिका परिषद् नाहन, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 17–4–2017 को प्रातः दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर जसदीप पुत्र परविन्दर सिंह की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15–03–2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट,
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

————————

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : श्री दिनेश दत्त पुत्र श्री राम दत्त, निवासी कुहिल, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता

श्री दिनेश दत्त पुत्र श्री राम दत्त, निवासी कुहिल, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका सही नाम दिनेश दत्त है। जबकि राजस्व रिकार्ड मौजा पनियाली, पटवार वृत्त नेहर–स्वार में हरीन्दर दर्ज है, जोकि गलत है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हल्फाब्यान, नकल जमाबन्दी, नकल निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, नकल आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। जिसे वह अब राजस्व रिकार्ड मौजा पनियाली, पटवार वृत्त नेहर–स्वार में दिनेश दत्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम परियाली व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को दिनेश दत्त का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा भरटिया खरड के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22–04–2017 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता / सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 21–3–2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

————————

In the Court of Shri Prakash Chand, Assistant Collector IInd Grade, Darlaghat, District Solan, H.P.

मिसल नं0 : 36 / 13-B of 2016

मुकद्दमा बनाम : Shri Mansa Ram s/o Shri Amru Ram, r/o Village Bagga, Pargana Mangal, Sub-Tehsil Darlaghat, District Solan, H.P.

Versus

General Public

प्रार्थना–पत्र नाम दरुस्ती।

इश्तहार बनाम आम जनता।

प्रार्थी Shri Mansa Ram s/o Shri Amru Ram, r/o Village Bagga, Pargana Mangal, Sub-Tehsil Darlaghat, District Solan, H.P. ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त Mangal में Shri Mansa Ram s/o Shri Amru Singh चला आ रहा है जो कि गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम Shri Mansa Ram s/o Shri Amru Ram है। प्रार्थी ने प्रमाण में Copy of Parivar Register, Affidavit, Copy of Jamabandi, Copy of Adhar Card, Voter Card and Copy of Ration Card भी प्रस्तुत किया है। इस नाम की दरुस्ती बारे हर आम व खास को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी को उजर या एतराज हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 20–04–2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज या असहमति प्रकट कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत न होगा तथा नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08–03–2017 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

————————

In the Court of Shri Prakash Chand, Assistant Collector IInd Grade, Darlaghat, District Solan, H.P.

मिसल नं0 : 35 / 13-B of 2016

मुकद्दमा बनाम : Shri Amar Nath s/o Shri Tulsi Ram, r/o Village Saryanj, Sub-Tehsil Darlaghat, District Solan, H.P.

Versus

General Public

प्रार्थना–पत्र नाम दरुस्ती।

इश्तहार बनाम आम जनता।

प्रार्थी Shri Amar Nath s/o Shri Tulsi Ram, r/o Village Saryanj, Sub-Tehsil Darlaghat, District Solan, H.P. ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त Saryanj में Shri Amar Chand s/o Shri Tulsi Ram चला आ रहा है जो कि गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम Shri Amar Nath s/o Shri Tulsi Ram है। प्रार्थी ने प्रमाण में Copy of Parivar Register, Affidavit, Copy of Jamabandi, Copy of Adhar Card, Voter Card and Copy of Ration Card भी प्रस्तुत किया है। इस नाम की दरुस्ती बारे हर आम व खास को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी को उजर या एतराज हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 20–04–2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज या असहमति प्रकट कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत न होगा तथा नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08–03–2017 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

In the Court of Shri Prakash Chand, Assistant Collector IInd Grade, Darlaghat, District Solan, H.P.

मिसल नं0 : 37 / 13-B of 2016

मुकद्दमा बनाम : Shri Chanan Singh s/o Shri Babu Ram, r/o Village Daseran wala, Sub-Tehsil Darlaghat, District Solan, H.P.

Versus

General Public

प्रार्थना–पत्र नाम दरुस्ती।

इश्तहार बनाम आम जनता।

प्रार्थी Shri Chanan Singh s/o Shri Babu Ram, r/o Village Daseran wala, Sub-Tehsil Darlaghat, District Solan, H.P. ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त Mangal में Shri Chanchal Singh s/o Shri Babu Ram चला आ रहा है जो कि गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम Shri Chanan Singh s/o Shri Babu Ram है। प्रार्थी ने प्रमाण में Copy of Parivar Register, Affidavit, Copy of Jamabandi, Copy of Adhar Card, Voter Card and Copy of Ration Card भी प्रस्तुत किया है। इस नाम की दरुस्ती बारे हर आम व खास को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती में किसी को उजर या एतराज हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 20–04–2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज या असहमति प्रकट कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत न होगा तथा नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 08–03–2017 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है